

फर्द अहकाम

2021/226

सहायक जज नरसिंह जिला जयपुर

गिराज बनाम छीतर

संख्या / वर्ष

113 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

प्राप्त कुलजात में स्थित वाड अस्त मूक में से 119, 168, 258 में तहसीलदार कर्मसे डाटा लेजे गये कुलजात अनुसूचि सदस्यता जाहिर की तथा ख. नं. 180 व 171 में नीची स्याही से दक्षित हाइड्रेट लाइट की मूक सभी को शामिल करी रहेगी तथा हाइड्रेट लाइट को छोड़कर उक्त खसत नमूने की शेष मूक अनुसूचि कर्मसे तहसीलदार कर्मसे से प्राप्त कुलजात अनुसूचि सभी को अनुसूचि दिशि अनुसूचि रहेगी। पत्रावली का अवलोकन एवं जाड़ी एवं प्रतिवादीगण को तहसीलदार कर्मसे से प्राप्त कुलजात पर सुत्र के पश्चात वाड अस्त मूक में से ख. नं. 180 व 171 में नीची स्याही से दक्षित हाइड्रेट लाइट की मूक को सभी खसतदारों के शामिल करी दक्षित करते हुए उक्त ख. नं. 180 व 171 की शेष रही मूक को अपरत हाइड्रेट में दक्षित मूक को कर्मसे करते के मातृ शेष मूक का पक्षकारों को कुलजात अनुसूचि गयी मूक का अनुसूचि रूप अंतवारा नमूने में प्रशोधन किया जावे। तहसीलदार कर्मसे को अपेक्ष दिनांक जाता है कि ख. नं. 180 व 171 में उक्तानुसूचि कुलजात व नमूने में प्रशोधन किया जावे। उक्तानुसूचि कुलजात व नमूने में प्रशोधन होते के मातृ वारी का वाड

क्र. सं.	दिनांक आड्डा या कार्यवाही	आड्डा विवरण एवं वे.
		<p>बदलवाये करती है जहाँ कुलकांठ व लक्ष्मी अतुल्य अंतिम विधि का मत है कि जोड अमर अंतर्गत 1000.</p> <p>106, 108, 119, 171, 180, 258 1014, 1.258, 1.745, 1.745, 1.745, 1.745</p> <p>कुल विना 6 कुल वकता 5 2729 हेक्टर</p> <p>विना अमर-नीलावाला तसवीब मसूदा विना लखपुर से से रा. सं. 108, 108, 119, 171</p> <p>171, 258 कुल विना 6 कुल वकता 2</p> <p>1.7450 हेक्टर की भूखे खोदता है।</p> <p>युन सुकई बनी स्तिपना मसूदा मं. खोदता रासि 8 को के 2 शाका वकता के हिस्से में रहेगी तथा रा. सं. 108</p> <p>119, 111, 258 कुल विना 4 कुल वकता 1.7450 हेक्टर की भूखे खोदता</p> <p>विना अमर, नीलावाला तसवीब मसूदा विना लखपुर से से रा. सं. 108, 108, 119, 171, 258</p> <p>2, 4, 2, 2</p> <p>कुल विना 5 कुल वकता 1.7450 हेक्टर की भूखे खोदता है।</p> <p>युन सुकई बनी स्तिपना मसूदा मं. 8 वकता के हिस्से में रहेगी।</p> <p>तथा रा. सं. 106, 108 कुल विना 2 कुल वकता 1.7450 हेक्टर की भूखे खोदता है।</p> <p>युन सुकई बनी स्तिपना मसूदा मं. 8 वकता के हिस्से में रहेगी।</p>

1000

फर्द अहकाम

2021 / 226

आयालय

सहायक न्यायाधीश नरसी जिला जयपुर

गिराज बनाम सीतर

क्रमा संख्या / वर्ष

113 / 2021

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>यू को जेके शावा कानेता, गिराज, (पिता एक पि. मूल चन्द, गीतादेवी पति न. मूल चन्द हि. 1/3 शक्ति केजाब नेशबल केक शावा काल्याणक रामशिरोट कि गोपी हि. 1/3 गति हटियाजा कएक 180 व 200 व. 171 में नीली स्पष्टी से इचित मूनि 180 व 200 व. 171 में नीली स्पष्टी से इचित मूनि को सभी खोतेदालो के शामिलती करते हुए शेव रही मूनि को सभी खोतेदालो के आयुपातिका रूप से कंत्रवाल नाता में भेशो धत करने के पंश्चात डकतातुसा राजाव रिगड में अमल कराकड करने के तहसीलदार कसरी को आदेश दिजुजाता है। कुंजात व नक्शे कड उभुमोद तहसीलदार कसरी को भेजे जावे। डिक्लीफर जाती हो। निरुध व डिक्ली को धालना डेनु तहसीर जाती हो। पनावकी फंसल युकार होकर कड तहसील दालिब दफर हो।</p>	<p>180 व 200 व. 171 में नीली स्पष्टी से इचित मूनि</p>

आज दिनांक 9.11.21 को पहलिये प्रशासन गंवे के राज अमि प्राप्त के मय जीवाला में मंजूर अम में मुनाफा गया।


सहायक न्यायाधीश नरसी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गिराज पुत्र मूलचन्द उर्फ नन्दलाल		1. छीतर पुत्र गोपी
2. गीता देवी पत्नि मूलचन्द उर्फ नन्दलाल		2. रामकिशोर पुत्र गोपी
3. सीताराम पुत्र मूलचन्द उर्फ नन्दलाल समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जीतावाला तह. बस्सी जिला जयपुर।		3. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
		4. उप पंजियक बस्सी जिला जयपुर।

दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 113/21

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 106/0.0126, 108/1 6565, 119/0.4552, 171/1.3783, 180/0.4173, 258/1.3530 कुल किता 6 कुल रकबा 5.2729 हेक्टेयर स्थित ग्राम जीतावाला तह. बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 108/1, 108/5, 119/1, 171/1, 171/3, 258/1 कुल किता 6 कुल रकबा 1.7450 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र गोपी जाति हरि. ब्राहमण सा खातेदार राहिन यू को बैंक शाखा कानोता के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 108/3, 119/3, 111/2 258/3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7450 हेक्टेयर की भूमि खातेदार गिरिराज, सीताराम पि मूलचन्द, गीता देवी पत्नि स्व. मूलचन्द जाति हरि. ब्राहमण सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्गावास क हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 108/2, 108/4, 119/2, 180, 258/2 कुल किता 5 कुल रकबा 1.7450 हेक्टेयर की भूमि खातेदार रामकिशोर पुत्र गोपी जाति हरि. ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 106, 108/6, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0379 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र गोपी हि. 1/3 राहिन यू को बैंक शाखा कानोता, गिरिराज, सीताराम पि. मूलचन्द, गीता देवी पत्नि स्व. मूलचन्द हि. 1/3 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा फाल्गावास रामकिशोर पि. गोपी हि. 1/3 जाति हरि. ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। ख.नं. 180 व ख.नं. 171 में नीली स्याही से दर्शित भूमि हाइडेशन लाइन की भूमि को सभी खातेदारों के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है: कुर्रजात व नक्शे बाद अनुमान तहसीलदार बस्सी को भेजे जावें। निजी मुबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक को अदा करे। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.11.2021 को जारी किया गया।

मुद्दा	रुपये	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जी-दावा			स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत
महन्ता वकील			महन्ता वकील
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन
फीस कर्मिश्नर			फीस कर्मिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिफ			मुतफरिफ
मीजान			मीजान

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का वाह डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर